



झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर)

सिरखा टोली, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड) <http://www.jutranchi.ac.in>

पत्रांक :- JUT-129/2025/Affiliation/नन (A)

/राँची, दिनांक :- २५/०१/२०२६

प्रेषक,

कुलसचिव (प्र०)

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

राँची।

सेवा में,

The Director/Principal

Om Sadashiva College of Pharmacy, Deoghar-814142

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु संस्थान में संचालित **Bachelor in Pharmacy (B. Pharm)** पाठ्यक्रम के औपबंधिक संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए Bachelor in Pharmacy (B. Pharm) पाठ्यक्रम हेतु संस्थान को प्राप्त Decision Letter तथा विश्वविद्यालय के संबद्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में आपके संस्थान में Bachelor in Pharmacy (B. Pharm) पाठ्यक्रम (PCI, New Delhi द्वारा निर्गत Decision Letter संबंधित पत्र में अंकित शाखा के लिए निर्धारित सीट की संख्या- 60 अनुसार) को निम्न शर्तों के अधीन औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घाकरण प्रदान किया जाता है:-

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. PCI/UGC/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी छात्र शिक्षक अनुपात, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित अर्हता अनुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित नामांकन शुल्क आदि Digitally प्राप्त किये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नये Syllabus को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयोगशाला/कर्मशाला में सभी आवश्यक मशीन उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।
5. पाठ्यक्रम संचालन हेतु PCI द्वारा निर्धारित मानक अनुसार Infrastructure तथा Facilities में जो भी त्रुटि/कमियाँ हैं, उसे हर हाल में तीन से छः माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाय।
6. PCI के Guidelines - 2025-26 में अंकित संस्थान स्तर पर गठित होने वाले सभी प्रकार के समिति/बोर्ड/स्क्वायड आदि के गठन संबंधित पत्रों को संस्थान के Website पर डाला जाय एवं इसे समय समय पर अपडेट किया जाय।
7. विगत वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट संस्थान के Website पर रखा जाय। पुस्तकालय/प्रयोगशाला/कर्मशाला के मशीन उपकरण के क्रय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी आदि के भुगतान, संस्थान के भवन एवं परिसर के विकास एवं रख-रखाव आदि पर किये गये गत वर्ष के व्यय का सरांश तथा उससे संबंधित सभी प्रकार का अभिलेख संस्थान स्तर पर संधारित किया जायेगा, ताकि उसे मांगे जाने पर तत्क्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

कृ०पृ०उ०....

विश्वविद्यालय की टीम आवश्यकतानुसार किसी भी समय उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का आकलन करने हेतु संस्थान का औचक निरीक्षण कर सकती है। प्रतिकूल निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति में विश्वविद्यालय अपने प्रदत्त औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घीकरण पर पुर्नविचार कर समुचित निर्णय ले सकता है।

अनुरोध है कि संबद्धता शुल्क राशि रु - 100000/(एक लाख रुपये मात्र) प्रति Programme के अनुरूप डिमान्ड ड्राफ्ट Payable at Ranchi के नाम से पत्र निर्गत के 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

Nishat Kaur
22/11/26

कुलसचिव (प्रो),

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची।

Amal

